**सत्रवाद संख्या–1947 / 2021**
**सरकार————बनाम————बहादुर चौहान।**

**<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 69ग व 70ग</u>**

**<u>दिनांक–11.04.2025</u>**

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तण दिवाकर सिंह, कृष्ण कुमार गुप्ता व रामसमुझ मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त सतनाम सिंह जिला कारागार से उपस्थित आया। अभियुक्तगण बहादुर चौहान एवं जितेन्द्र सिंह की हाजिरी जरिये प्रार्थनापत्र मांफ की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 69ग व 70ग पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त सतनाम की ओर से प्रार्थना पत्र 69ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विधि विज्ञान रिपोर्ट प्रदर्श क–33 की कापी बयान मुल्जिम दिनांक 19.03.2025 को उसको प्राप्त करायी गयी, जिससे यह मालूम हुआ कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला 3 देशी पिस्तौल 315 बोर व एक पिस्टल 7.65 एमएम जांच हेतु भेजा गया था, जबकि उसके निशानदेही पर तमंचा 315 बोर का बरामद होना दिखाया गया है तथा सह अभियुक्त बहादुर चौहान व जितेन्द्र सिंह के पास से भी तमंचा बरामद होना दिखाया गया है, इसके अलावा भी अन्य विसंगतियों विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दिखायी दे रही है, जिससे विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श क–33 के संबंध में संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण हेतु जिरह करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श क–33 के तैयारकर्ता अधिकारी को तलब करने की याचना की गयी है।

अभियुक्त सतनाम की ओर से प्रार्थना पत्र 70ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन के अनुसार मृतक को जीवित हाल में मेडिकल कालेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया, जहॉ दौरान इलाज चोटिल बृजेश सिंह की मृत्यु हो गयी, परन्तु अभियोजन द्वारा मेडिकल कालेज में इलाज करने वाले एवं मृत घोषित करने वाले डाक्टर का न तो विवेचक ने बयान लिया है एवं न उन्हें गवाह बनाया गया है। अतः मृतक बृजेश कुमार सिंह का दिनांक 02 / 03.04.2021 की रात को इलाज करने वाले एवं दौरान इलाज मृत घोषित करने वाले डाक्टर को संबंधित आकस्मिक चिकित्सा रजिस्टर एवं भर्ती पर्ची आदि के साथ साक्ष्य हेतु तलब करने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से आपत्ति 71ग प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि उक्त वाद में धारा 313 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य में अभी तक गवाहान की कोई सूची दाखिल नही की गयी है। मामले को बिलम्बित करने के आशय से उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण द्वारा बिना किसी विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत दिया गया है। उक्त मामले में पूर्व में लगभग 8 गवाहान के बयान अंकित हो जाने के पश्चात दो अभियुक्तगण सतनाम एवं राजवीर के संदर्भ आरोप पत्र पृथक रूप से आने के उपरान्त पत्रावलियों को समेकित कर पुनः नये सिरे से सारे साक्षीगण का बयान अंकित किया गया है। अभियुक्तगण इस तरह का प्रार्थना पत्र देने के आदी है। पूर्व में भी उसके द्वारा वादी श्री भोलानाथ सिंह की उपस्थिति घटना स्थल पर थी या नही के संदर्भ में सी०डी०आर० तलब करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं समस्त अभियोजन से विस्तृत जिरह की गयी है तथा वादी एव अभियोजन साक्षीगण से भी आकस्मिक चिकित्सा रजिस्टर एवं भर्ती पर्ची के संदर्भ विस्तृत जिरह की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा दिये गये दोनों प्रार्थना पत्र दं0प्र0सं0 की किस धारा के अन्तर्गत किस प्राविधानों में दिये गये है, स्पष्ट नही है। अभियुक्तगण द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में देशी पिस्तौल एवं देशी तमंचा का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तमंचा एक फारसी शब्द है, जिसका हिन्दी अर्थ पिस्तौल / कट्टा है। दोनों एक ही चीज है, एक ही कटेगरी में आती है, दोनों अबैध है, दोनों समान है। अतः उक्त आधार पर भी

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में विसंगतियॉ होने के आधार पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण हेतु जिरह करना अत्यन्त आवश्यक है। धारा–293 दं0प्र0सं0 के अनुसार विशेषज्ञ को परीक्षित कराये बिना विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य होती है एवं उस पर निर्भर किया जा सकता है। यदि उक्त रिपोर्ट में कोई विसंगति है, तो अभियुक्त उसका लाभ ले सकता है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ को प्रतिपरीक्षा हेतु तलब किये जाने का कोई पर्याप्त आधार न होने के कारण प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण जानबूझकर मामले को लंबित रखने के लिये विशेषज्ञ को साक्ष्य हेतु तलब कराना चाहते हैं। अतः विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जारी करने वाले विशेषज्ञ प्रतिपरीक्षा हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त न होने के कारण प्रार्थनापत्र 69ग निरस्त होने योग्य है।

जहॉ तक अभियुक्त सतनाम की ओर से मृतक बृजेश सिंह का इलाज करने वाले एवं मृत घोषित करने वाले डाक्टर एवं आकस्मिक चिकित्सा रजिस्टर व भर्ती पर्जी को तलब करने का प्रश्न है। अभियुक्त सतनाम का स्वयं अपने प्रार्थनापत्र में कथन है कि अभियोजन द्वारा मेडिकल कालेज में इलाज करने वाले एवं मृत घोषित करने वाले डाक्टर का न तो विवेचक ने बयान लिया है एवं न उन्हें गवाह बनाया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में मृतक बृजेश कुमार सिंह का दिनांक 02/03.04.2021 की रात को इलाज करने वाले एवं दौरान इलाज मृत घोषित करने वाले डाक्टर को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त न होने के कारण प्रार्थनापत्र के संबंध में निरस्त होने योग्य है। जहॉ तक मृतक से संबंधित आकस्मिक चिकित्सा रजिस्टर एवं भर्ती पर्ची का संबंध है, उक्त दस्तावेज संबंधित अस्पताल से तलब किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थना पत्र 69ग निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र 70ग आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये मृतक बृजेश से संबंधित आकस्मिक चिकित्सा रजिस्टर एवं भर्ती संबंधी पर्चे नियत दिनांक 18.04.2025 के लिये तलब हो।

पत्रावली बहस हेतु 18.04.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.04.11 17:13:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court